[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 37/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)
नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. (अ). जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य, (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है), में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "ग्लास या सिरामिक्स/पोर्सिलीन के इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स, चाहे ये एसेम्बल्ड हो या अनएसेम्बल्ड" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 8546 10 00 या उप शीर्षक 8546 20 के अंतर्गत आते है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 अप्रैल, 2015 के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में अधिसूचना संख्या 7/44/2018-डीजीटीआर, दिनांक 10 जनवरी, 2019 जिसे दिनांक 10 जनवरी, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में समीक्षा शुरू की थी;

और जहां कि उक्त विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/44/2018-डीजीटीआर, दिनांक 17 जुलाई, 2019, जिसे दिनांक 17 जुलाई, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ;

(i) प्रश्नगत उत्पाद का विषयगत देशों से इसके सस्ते मूल्य पर आयात जारी है;
(ii) फालतू आयात के कारण घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हुई है;
(iii) इस प्रकार के फालतू आयात के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति जारी है और
(iv) रेकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि इस स्तर पर एडीडी को समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसा फालतू आयात जारी रहेगा और इससे क्षति होती रहेगी;

और उन्होंने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है ।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के

तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप शीर्षक/टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित और/या वहां से निर्यातित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित हैं, और भारत में आयातित है पर कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र. सं.	उप शीर्षक /टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का और/या निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	8546 10 00 या 8546 20	ग्लास या सिरामिक्स/ पोर्सिलीन के इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स, चाहे ये एसेम्बल्ड हो या अनएसेम्बल्ड	चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स लीलिंग हूआक्सिंन इन्सुलेटर टेक्नालॉजी कंपनी लिमिटेड	638	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.			चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी अन्य	1,383	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

नोट: जैसा कि उपर्युक्त कॉलम (3) में उल्लिखित है ग्लास या सिरामिक्स/पोर्सिलीन के इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स, चाहे ये एसेम्बल्ड हो या अनएसेम्बल्ड में निम्नलिखित नहीं आते हैं, यथा:-

(i) टेलीफोन या टेलीग्राफ इन्सुलेटर्स, जिनकी वोल्टेज रेटिंग 1 केवी तक हो;

(ii) इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रानिक उपकरण//डिवाइस इन्सुलेटर्स, जिनकी वोल्टेज रेटिंग 1 केवी तक हो;

(iii) कम्पोजिट इन्सुलेटर्स;

(iv) कन्डेंसर्स बुशिंगन्स और ट्रांसफार्मर ।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले

लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

(फाइल संख्या 354/111/2014-टीआरयू (पार्ट-2)

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार